रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229158
CG-DL-E-19082021-229158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943
No. 467]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHRAVANA 28, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 579(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में, नियम 6 में, उप-नियम (4) में,—

(i) पहले परंतुक में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग में निदेशक अथवा उसके समतुल्य अथवा उससे ऊपर के वेतनमान में, और निम्नलिखित के संचालन का अनुभव रखने वाला,—

(i) वाणिज्य, कारपोरेट कार्य, वित्त, उद्योग या पब्लिक उद्यमों से संबंधित मामले; या

(ii) वाणिज्यिक कार्यकलापों पर संसद के अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित सरकारी कंपनियों या सांविधिक निगमों से संबंधित मामले।"।

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि निम्नलिखित व्यक्ति, जो कम से कम दस वर्ष से रह रहे हैं या रह चुके हैं:—

(क) किसी न्यायालय का अधिवक्ता; या
(ख) चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस की है; या
(ग) कोस्ट अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस; या
(घ) कंपनी सचिव के रूप में प्रैक्टिस की है,

को ऑनलाइन प्रवीणता स्वमूल्यांकन परीक्षण पास करने की अपेक्षा नहीं होगी।"।

[फा.सं. 8/4/2018-सीएल-I, पार्ट-I]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि 774(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2021

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, in sub-rule (4),—

(i) in the first proviso, for clause (B), the following clause shall be substituted, namely:—

"(B) in the pay scale of Director or equivalent or above in any Ministry or Department, of the Central Government or any State Government, and having experience in handling,—

(i) the matters relating to commerce, corporate affairs, finance, industry or public enterprises; or

(ii) the affairs related to Government companies or statutory corporations set up under an Act of Parliament or any State Act and carrying on commercial activities.".

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the following individuals, who are or have been, for at least ten years :—

(A) an advocate of a court; or
(B) in practice as a chartered accountant; or
(C) in practice as a cost accountant; or
(D) in practice as a company secretary,

shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test.".

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 774 (E), dated the 18th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.